

न्यायालय, उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0- 04/2011-12

श्री बासुदेव प्रसाद।

बनाम

फूलजेन्स डुंगडुंग।

आदेश

अपीलार्थी बासुदेव प्रसाद वल्द स्व0 राम केवल साहू ग्राम - कोनमेंजरा माझाटोली, थाना - ठेठईटांगर, जिला -सिमडेगा ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा के एस0ए0आर0 वाद संख्या 17/ 2010 (फूलजेन्स डुंगडुंग बनाम बासुदेव प्रसाद) में दिनांक 18.01.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध में यह अपील दायर किया है।

इस वाद की विवादित भूमि मौजा कोनमेंजरा थाना - ठेठईटांगर के खाता संख्या 96 प्लॉट नं0 571 रकबा 0.41 एकड़ से संबंधित है।

इस अपीलवाद की कार्यवाही दिनांक 05.05.2011 को प्रारम्भ की गई। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया।

विगत दो सुनवाई की तिथि में अपीलार्थी न्यायालय में अनुपस्थित एवं उत्तरवादी उपस्थित हुए।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित आवेदन में मुख्य रूप से निम्न बातें रखी गई हैं।

विषयांकित भूमि के खतियानी रैयत ज्ञानचन्द्र साहू वल्द हलखरी साहू हैं तथा पंजी II रैयत रामकेवल साहू है जो क्रमशः आवेदक के दादा एवं पिता है।


अंचल अधिकारी, ठेठईटांगर द्वारा भूमि पर आवेदक के 25-30 वर्ष के दखल का प्रतिवेदन गलत है अपितु आवेदक के दादा एवं पिता खतियान तैयार होने के पूर्व से ही भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार रहें है तथा उनलोगों के मृत्यु के पश्चात् अभी आवेदक दखलकार है। अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा उत्तरवादी को भूमि की बिक्री नहीं की गई है। उत्तरवादी का भूमि के क्रय संबंधी कागजात जाली एवं बनावटी है।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि अपीलार्थी अनुपस्थित रहे एवं अपना पक्ष नहीं रखा यह विल्कुल गलत है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु तिथि निश्चित नहीं की गई थी। निम्न न्यायालय द्वारा बिना जवाब एवं बिना बहस सुने आदेश पारित किया गया है जो विल्कुल गलत है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के उत्तरवादी एवं एस0ए0आर0 अपील वाद के अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला है अतः नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि निम्न न्यायालय उनके उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई करें एवं आदेश पारित करें।

अभिलेख सुनवाई हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा को भेजे तथा आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध करा दें।

लेखापित एवं संशोधित


03.02.21
उपायुक्त,
सिमडेगा।


03.02.21
उपायुक्त,
सिमडेगा।